

# बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

## BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

### अधिसूचना

पटना, दिनांक 11/01/2024

अ.सं.:संबं0-6032(पार्ट-1)/2023-30 / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से औपबंधिक संबद्धता प्राप्त निम्नांकित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा नामांकन क्षमता में वृद्धि हेतु प्राप्त आवेदनों पर तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-04.01.2024 को सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं० 2 में अंकित गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं० 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 7 में अंकित बढी हुई नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2023-24 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No	Name of College	District	Name of Course	Existing Intake	Increase Seat	New/ Proposed Intake	Affiliation Notification No. of BUHS	Health Deptt. Approval Letter for Seat Intake	BNRC Approval Letter for Increase Seat Intake
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9	10
1	Ambedkar College of Education	Rohtas	B.Sc Nursing	60	20	80	511/05-08-2023	1669(6)/26-10-2023	2907/29-11-2023
2	Ambedkar Institute of Higher Education	Patna	B.Sc Nursing	60	40	100	511/05-08-2023	1670(6)/26-10-2023	2906/29-11-2023
3	D P Singh Institute of Education	Nalanda	B.Sc Nursing	60	40	100	511/05-08-2023	1634(6)/20-10-2023	2986/21-12-2023
4	Gautam Institute of Nursing	Nalanda	B.Sc Nursing	60	40	100	511/05-08-2023	1620(6)/20-10-2023	2985/21-12-2023
5	Maa Kanti College of Nursing	Patna	B.Sc Nursing	50	50	100	511/05-08-2023	1630(6)/20-10-2023	2824/31-10-2023
6	Krishana Institute of Nursing & Para Medical Sciences	Samastipur	B.Sc Nursing	60	40	100	511/05-08-2023	1617(6)/19-10-2023	2752/20-10-2023


### नियम एवं शर्तें:-

- औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
- औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
- यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान को सत्र-2023-24 हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र-2023-24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे।
- किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
- किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा Apex Regulatory Body से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।



6. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
7. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
8. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
9. विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
10. महाविद्यालय/संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
11. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
12. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबन्धिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।


कुलपति के आदेशानुसार

  
11/01/2024  
(विमलेश कुमार झा)

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032(पार्ट-I)/2023-30 / पटना, दिनांक 11/01/2024  
प्रतिलिपि-प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
11/01/2024  
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना


ज्ञापांक : संबं.-6032(पार्ट-I)/2023-30 / पटना, दिनांक 11/01/2024  
प्रतिलिपि-डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(नर्सिंग)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
11/01/2024  
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032(पार्ट-I)/2023-30 / पटना, दिनांक 11/01/2024

प्रतिलिपि-माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख(नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
11/01/2024  
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना